भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 639

12दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात पुनर्चक्रण संयंत्र

639. श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्पात पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए इस्पात पुनर्चक्रण संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्चक्रित इस्पात के माध्यम से देश की कितनी इस्पात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क)और(ख): सरकार ने नवंबर, 2019 में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है। यह नीति विभिन्न स्रोतों से उत्पादित होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में मैटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों / निजी क्षेत्र द्वारा स्क्रैपिंग केन्द्रों को स्थापित किए जाने का निर्णय वाणिज्यिक परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है।

(ग): इस्पात निर्माण प्रक्रिया में पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग एक इनपुट के रूप में किया जाता है। क्रूड इस्पात के उत्पादन में स्क्रैप का उपयोग एक चार्ज मिक्स के रूप में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ), इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) तथा बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) रूट्स के माध्यम से किया जाता है। देश में 120 मिलियन टन (एमटी) के कुल क्रूड इस्पात उत्पादन में स्क्रैप की मौजूदा आवश्यकता लगभग 30 एमटी[घरेलू स्तर पर उत्पन्न 26 एमटी स्क्रैप+4 एमटी स्क्रैप आयात]है।

*****